



# मवेशी नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डी ए एच डी) ने अपने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर जी एम) के तहत किसानों को मवेशियों और भैंस की नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बछिया उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता प्रतिमान के माध्यम से नस्ल गुणन फार्म की स्थापना की सुविधा के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। नस्ल गुणन फार्म उद्यमिता योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इच्छुक उद्यमियों को पशुशाला के निर्माण, उपकरण और कुलीन सांड माताओं की खरीद आदि के लिए पूंजी के 50% (2 करोड़ रुपये तक) तक की सब्सिडी उपलब्ध है। उद्यमियों को नस्ल गुणन फार्म (बी एम एफ) स्थापित करके सेक्सड सीमेन या आई वी एफ तकनीक का उपयोग करके कुलीन बछिया का उत्पादन करना होगा।

योजना के बारे में पूरी जानकारी <https://dahd.nic.in> और <https://www.nddb.coop> वेबसाइटों पर दी गई है।

## नस्ल गुणन कृषि उद्यमिता योजना के उद्देश्य

- मवेशियों और भैंसों के प्रजनन के लिए निजी उद्यमियों को विकसित करना।
- रोग मुक्त उच्च उपज देने वाली बछिया/गर्भवती बछिया/देशी नस्ल के मवेशियों/भैंसों को उपलब्ध कराना।
- व्यक्तिगत उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी) और धारा 8 कंपनियों को नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना।

- पशु पोषण और बीमारी की रोकथाम आदि सहित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना।
- आई वी एफ तकनीक और सेक्सड सीमेन सहित वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से उच्च उपज देने वाले दुधारू पशुओं का गुणन।

### उद्यमियों के चयन के आवश्यक मानदंड

- उद्यमी एक निजी व्यक्ति/एफ पी ओ/किसान सहकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी) या धारा 8 कंपनी हो सकता है।
- उद्यमियों को पशुओं के प्रजनन या पालन-पोषण का उपयुक्त अनुभव होना चाहिए।
- उपयुक्त आकार की भूमि और स्थान की व्यवस्था के लिए उद्यमी जिम्मेदार होगा। कम से कम 200 जानवरों और उनके बच्चों को रहने के लिए उपयुक्त आकार की भूमि का स्वामित्व/पट्टा विलेख होना चाहिए।
- नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (ए एच आई डी एफ) के तहत ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को भी नस्ल गुणन फार्म के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- फार्म की आवश्यकता के अनुसार चारा एवं चारे की खरीद की व्यवस्था उद्यमी स्वयं करेगा।
- उद्यमी कम से कम 200 दुधारू गाय/भैंस का नस्ल गुणन फार्म स्थापित करेगा और भंडार को लगातार उन्नत करने के लिए नवीनतम प्रजनन तकनीक का उपयोग करेगा।
- उद्यमी खेत में पैदा हुए कुल बछड़ों-बछड़ियों में से किसानों को हर साल कम से कम मवेशियों की 90 कुलीन बछड़ियों और भैंस के 70 कुलीन बछड़ियों को उपलब्ध करा सकता है। बछड़ियों के उत्पादन के लिए उद्यमी द्वारा यौन वीर्य और आई वी एफ

तकनीक का उपयोग किया जाएगा। शेष बछड़ों का उपयोग फार्म में उपलब्ध भंडार को बदलने के लिए किया जा सकता है।

- उद्यमी डेयरी व्यवसाय में रुचि रखने वाले किसानों/छोटे उद्यमियों को अधिक उपज देने वाली बछिया/गर्भवती बछिया/गाय उपलब्ध कराएगा। उद्यमी पशु पोषण, टीकाकरण, रोग परीक्षण, जैव-सुरक्षा आदि बनाए रखने और किसान को पशु चिकित्सा सहायता पर भी किसानों का मार्गदर्शन करेगा।